



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग से अप्राकृतिक कृत्य करने वाले अभियुक्त को 15 वर्ष के कठोर कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सिसोलर में पंजीकृत मु०अ०सं०- 171/2017 धारा-377 भा०द०सं० व 06 पोक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त सुनील कुमार पुत्र रामकिशन नि०ग्रा०-किसवाही थाना सिसोलर, जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 15 वर्ष के कठोर कारावास व ₹20,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी अवधनरेश
सिंह चन्देल



विवेचक-
उ०नि० सन्तोष कुमार
त्रिपाठी



पैरोकार- थाना सिसोलर
हे०का० धर्मेन्द्र सिंह